मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

कार्यालय आदेश

माननीय राज्य सूचना आयुक्त, पटना द्वारा निर्धारित तिथि को आवेदक द्वारा मॉगी गई सूचना समय पर संबंधित सभी शाखा, विभाग और महाविद्यालय द्वारा प्राप्त नहीं होने के कारण माननीय आयुक्त द्वारा विश्वविद्यालय को आर्थिक दण्ड का सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही हैं।

अतएव सभी शाखा, विभाग और महाविद्यालय को यह आदेश दिया जाता है कि माननीय कुलपति सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार एवं माननीय राज्य सूचना आयोग, पटना द्वारा निर्धारित सुनवाई का आदेश प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर आवेदक द्वारा मॉगी गई सूचना लोक सूचना कार्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को उपलब्ध करादे अन्यथा एक दिन की भी देरी से सूचना प्राप्त नहीं किया जाएगा साथ ही साथ सुनवाई की तिथि को माननीय आयुक्त, राज्य सूचना आयोग के न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना कंडिकावार मंतव्य उपलब्ध कराना होगा, नही तो सुनवाई के क्रम में प्रथम अपीलीय प्राधिकार/माननीय राज्य सूचना आयोग के न्यायालय द्वारा कि गई कार्रवाई या दण्ड की सारी जिम्मेवारी संबंधित शाखा, विभाग और महाविद्यालय की होगी।

विश्वासभाजन्

हा0/–

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

ज्ञापांक :– PIO/Rep....1135/19

दिनांक....06../07/19

प्रति सूचनार्थ :–

01. सहायक निबंधक, राज्य सूचना आयोग, पटना।
02. माननीय कुलपति/प्रतिकुलपति के निजि सहायक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
03. कुलसचिव के निजि सहायक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
04. सभी संबंधित शाखा/विभाग/महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
05 - नोडल आफिसर, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

(हस्ताक्षर) 6.7.19

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

Scanned by CamScanner